



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/विविध/स्टे/2020/ 162 जयपुर, दिनांक- 22-1-2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 13169/2019 में दायर अपील में पारित आदेश दिनांक 3.9.2019 के क्रम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रानुसार विभागीय आदेश क्रमांक 1722 दिनांक 20.8.2019 जिसके द्वारा श्रीमती कुमुद सोलंकी को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर किया गया था को निरस्त किया जाता है। श्रीमती सोलंकी यथावत विकास अधिकारी पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़ के पद पर कार्यरत रहेंगी।

(मंजू शर्मा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (एल.टी.) मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
8. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़।
10. प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाकर प्रकरण का निस्तारण करवाने का श्रम करावें।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ़।
12. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
13. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. आदेश पत्रावली।

(डॉ. प्रवीण कुमार)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)